IJAER/ September-October 2020/Volume-9/Issue-2 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

ब्रिटिश राज में महिलाओं की स्थिति

डॉ सीमा पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक इतिहास

गुरुघासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर (सी जी)

सार

किसी भी राष्ट्र या समाज में महिलाओं के प्रति अलग – प्रकार के दृष्टिकोण है। हिन्दू धर्म में स्त्री को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से उसे धन , शक्ति और बुद्धि के आदर्श के रूप में प्रदर्शित किया गया है जबकि भारतीय नारी के संदर्भ में मान्यता बिल्कुल विपरीत है। आज भले ही कानून लड़की के पिता के धन पर अधिकार स्वीकार करता है किन्तु इस कानून का क्रियान्वयन समाज में तब तक होना सम्भव नहीं है , जब तक कोई कुंजी कानून के द्वार पर दस्तक नहीं देती। हिन्दू धर्म में शक्ति का अवतार भले ही दुर्गा हो किन्तु भारतीय नारी को आज भी अबला ही माना जाता है। इसी प्रकार एक लम्बे समय तक स्त्री की बुद्धि और विवेक को समाज द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता रहा है और आज भी देखा जा रहा है। "समाज हमेशा आपके पूर्ववर्ती समाज को देखते हुए ही अपनी परम्पराएँ बनाता एवं बिगाड़ता है। केवल भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी जाति , सम्प्रदाय वर्ग का समाज प्राकृतिक रूप से पुरुष सत्तात्मक समाज , कुछ अपवादों को छोड़कर , रहा है और वर्तमान में है भी। यदि ऐसा न होता तो पाश्चात्य देशों में अनेक स्त्री लेखिकाओं , समाज सेविकाओं को नारीवादी की संज्ञा न दी गयी होती और उन्हें पुरुषों द्वारा बनायी गयी अनेक परम्पराएँ न तोड़नी पड़ती। उदाहरणतयः सेकेण्ड सैक्सश् की विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका सीमाने – द – वोऊवार जिन्हें 20 वीं सदी में नारी मुक्ति आंदोलन चलाने की क्या आवश्यकता थी ?

शव्द कुजी राष्ट्र या समाज , भारतीय नारी , कानून , जाति , सम्प्रदाय वर्ग , मुक्ति आंदोलन

प्रस्तावना

स्वतंत्रता से पहले का समय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का समय था। यह 18 वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा। मुगलकाल में जो महिलाओं की स्थिति थी , वह अंग्रेंजी शासन काल में भी बनी रही। मुगलकाल के बाद भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। इस समय भी बाल विवाह , बहुविवाह , दहेज प्रथा , विधवा विवाह निषेध एवं सती प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ समाज में और भी अधिक पकड़ बनाए हुई थी। ब्रिटिश शासन को विरासत में सामंतवादी समाज मिला। इस व्यवस्था में महिला भोग की वस्तु समझी गई। धर्म की नीतियों ओर सिद्धांतों ने पहले से ही महिला के पैरों में बेड़ियाँ लगा रखी थी। ब्रिटिश काल में सामंतवादी व्यवस्था एक तरफ थी और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी नीतियाँ। शासकों को महिला उत्थान से क्या लाभ होना था। देश के आर्थिक विकासकी डोर ब्रिटिश सत्ता के हाथ में थी।

प्रादेशिक ब्रिटिश काल (1857–1920) में भारतीय महिलाओं की स्थिति

ऐसे में महिला समाज तो पहले से ही पुरूष परनिर्भर था तो वह उन्नति कैसे कर सकता था। अंग्रेजो ने अपने लाभ के लिए अंग्रेजीशिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया। 41 पश्चिम की संस्कृति की जड़े भारतीय समाजपर उगने लगी थी , चूंकि अंग्रेजों को यहाँ की संस्कृति वैभव का दोहन करना था औरअपनी संस्कृति का मुलम्मा यहाँ चढ़ाना था जिसमें वह सफल भी हुए। मुगलकाल कीसतायी महिला घर की चारदीवारी में अपने जीवन की त्रासदी अभी भी भोग रही थी।वह सारे अधिकारों से वंचित होकर पुरूष प्रधान की भोग्या बन कर रह गई थी।

भारतीय इतिहास में अठारहवीं सदी का समय घोर अवनति और अद्योगति कासमय था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था दिनो – दिन अपनी सत्ता बढ़ाती जा रही थी। भारतअपने प्राचीन वैभव को खो चुका था। ' वेदांत ' की शिक्षाएँ लोगों की समझ से बाहर होचुकी थी। यह युग पराधीनता का युग था ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाजकी सामाजिक , आर्थिक व राजनीतिक सभी संरचनाओं में अनेक परिवर्तन हुए ब्रिटिशशासन काल में महिलाओं का शोषित बना रहना ही उनके प्रशासन के हित में ही था।अतः महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत में ब्रिटिश राज्य केप्रभाव से तथा शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा कर दिए जाने से भारतीय जीवन पद्धतिऔर राष्ट्रीय चरित्र में नए परिवर्तन प्रारंभ हुए। पश्चिम में औद्योगिक विकास औरभारतीय बाजारों में विदेशी माल की खपत के कारण गांवों में कुटीर उद्योग लगभगनष्ट हो गए। संयुक्त परिवार बिखरने लगे। ग्रामीणों के बीच गरीबी और अज्ञानता काराज्य हो गया। गाँव से शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति बढ़ गई। भारतीय समाजएक नये प्रकार के शोषण का शिकार हो गया। पहले से ही शोषित महिला पर इसकाऔर दुष्प्रभाव पड़ा। वह और पददलित और पीड़ित हो गई। ब्रिटिश शासन काल मेंमहिलाओं की निम्न निर्योग्यताओं के आधार पर हम इस काल में महिला की खराबस्थिति को सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

ब्रिटिश शासन काल में स्वतंत्र रूप से महिलाओं को मांगने और व्यवहारिकनियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के अधिकार नहीं थे। बाल विवाह , पर्दाप्रथा महिलाओं की शिक्षा में मुख्य बाधाएँ थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का विरोधकरना उसके लिए कलंक समझा जाता था। इस युग में परम्परात्मक दृष्टि सेमहिलाओं का कार्य क्षेत्र घर था। वे माताएँ पहले थी , उपार्जिका बाद में। घर से बाहरका कार्य करना पारिवारिक सम्मान के विरूद्ध समझा जाता था। परम्परागत धार्मिकदायित्वों का निर्वाह करना ही उनके मनोरंजन का एक मात्र साधन था। पारिवारिकक्षेत्र में उनके समस्त अधिकार समाप्त हो गए थे। वह परिवार की संचालिका थीलेकिन व्यवहारिक रूप से सारे अधिकार पुरूषों के पास थे। उनके बिना महिलाकिसी भी प्रकार का कोई भी पारिवारिक या सामाजिक निर्णय नहीं ले सकती थी।

कम उम्र में ही विवाह हो जाने से परम्परागत रूढ़ियों एवं निषेधों से युक्त वैदिककाल की महिला जो अपने परिवार की ' साम्राज्ञी ' होती थी ससुराल की सेविका बनकर रह गई। परिवार में बच्चे पैदा करना एवं पति के सभी संबंधियों की सेवा करनाही उसका मुख्य कर्तव्य हो गया। उत्तर वैदिक

काल एवं मध्य कालीन युग कीबहुपत्नी – प्रथा , अंतर्जातीय विवाह , विवाह विच्छेद का अधिकार न होना आदि कुरीतियाँब्रिटिश काल तक समाज में मौजूद थी। विवाह के समय दहेज देने की प्रथा , धार्मिककार्यों को लेकर महिला का शोषण एक सामान्य सी बात थी। महिला भी इन सबकोपूर्व जन्म के कार्यों का फल मानकर इससे संतुष्ट रहती थी। इस कारण उसकीपारिवारिक व सामाजिक स्थिति में गिरावट आती चली गई।

ब्रिटिश काल में आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक महिला निर्योग्यता देखने कोमिलती है। महिलाओं को न केवल संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में से हिस्सा देने सेवंचित किया गया। अपितु अपने पिता की संपत्ति में से भी उसे कोई हिस्सा नहीं दियाजाता था। पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं था। इस युग में स्वयंमहिला खुद एक ' संपत्ति ' मानी जाती थी। अतः उसे संपित्त के अधिकार कैसे दिए जासकते थे। पत्नी पति के परिवार का अंग हो गई और विधवाओं को मृत्यु तुल्य मानलिया गया। एक महिला मूख और प्यास से चाहे कितनी पीड़ित क्यों न हो , परन्तु कोई भी आर्थिक क्रिया करना उनके स्त्रीत्व और कुलीनता के विरूद्ध मान लियागया। इसका परिणाम यह निकला कि बड़े अमानवीय व्यवहार के पश्चात् भी उसेपुरूष की दया पर आश्रित रहना पड़ता था। उसे घर से बाहर जाने या किसी बाहरके व्यक्ति से स्वतंत्र रूप से मिलने की अनुमति नहीं होती थी। समाज में पर्दा प्रथा , बाल विवाह जैसी कुरीति विद्यमान थी ऐसी सामाजिक स्थिति में महिला का आर्थिकरूप से आत्मनिर्भर होना तो असंभव था।

अंग्रेजी शासन संपादित

यूरोपीय विद्वानों ने 19 वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिंदू महिलाएं "स्वाभाविक रूप से मासूम" और अन्य महिलाओं से "अधिक सच्चरित्र" होती हैं।ख18, अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं. हालांकि इस सूची से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियाँ जैसे कि मार्था मौल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिज़ा काल्डवेल नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लडकियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है । यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरुआत में स्थानीय स्तर पर रुकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। 1829 में गवर्नर–जनरल विलियम केवेंडिश–बेंटिक के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की।

कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नम्मा ने समाप्ति के सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स) की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों के खिलाफ़ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ़ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झाँसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ़ 1857 के

भारतीय विद्रोह का झंडा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सह–शासिका बेगम हज़रत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इनकार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयीं। भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने परदा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया।

चंद्रमुखी बसु, कादंबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल कीं।

1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाक़ात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था।ख13, 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिये शादी की न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की गयी थी।ख13,ख19, हालांकि महात्मा गाँधी ने स्वयं तेरह वर्ष की उम्र में शादी की, बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से बाल विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की।

भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भिकाजी कामा, डॉ० एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुना आसफ़ अली, सुचेता कृ पलानी और कस्तूरबा गाँधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम हैं मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देशमुख आदि। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झाँसी की रानी रेजीमेंट कैप्टेन लक्ष्मी सहगल सहित पूरी तरह से महिलाओं की सेना थी। एक कवियित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं।

स्वतंत्र भारत

भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृ ति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं।ख4, इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3)), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)(ई)) और साथ ही काम की उचित एवं

मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है।

भारत में नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान रफ़्तार पकड़ी. महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मथुरा बलात्कार का मामला था। एक थाने (पुलिस स्टेशन) में मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना 1979–1980 में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी। विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए मजबूर किया गया।ख्22, महिला कार्यकर्ताएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं।

चूंकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है,ख्23, महिलाओं के कई संगठनों ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में शराब–विरोधी अभियानों की शुरुआत की। ख्22, कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकारों के बारे में रूढ़िवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किये और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की।

1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला–उन्मुख गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को संभव बनाया। स्वयं–सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर. भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया था।ख13, महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी।

2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचारित की गयी थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण की व्यवस्था है।

निष्कर्ष

ब्रिटिश शासन काल में महिला की सामाजिक स्थिति तो इतनी अधिक दयनीयथी कि उसका राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लेना तो कल्पना से भी परे था। एक ऐसेसमय में जबकि महिला का घर के अंदर तो शोषण होता था , शोषण करने वालापुरूष स्वयं अंग्रेजों का गुलाम था तो स्वयं महिला राजनीति में कैसे हिस्सा ले सकतीथी। सन् 1919 तक तो महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। ऐसे समयमें वह राजनीतिक कार्यों में भाग कैसे ले सकती थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयराजनीति पर अपना कब्जा कर रखा था। उन्होंने अपनी सुविधानुसार ही शासक एवंसत्ता के नियम बना रखे थे। जिसके कारण उन्हीं नियमों का पालन करना भारतीयजनता को अनिवार्य था। इन सब कारणों से पता चलता है कि ब्रिटिश काल मेंमहिला की स्थिति दयनीय थी। वह अब भी समाज में केवल पुरूष द्वारा बनाये गएनियमों का पालन करने वाली एक वस्तु थी। उसके जीवन का एक मात्र उद्देश्यपति सेवा एवं उसके परिवार के सदस्यों की सेवा करना था। उसका जीवन एकदमनरकीय बना हुआ था। महिला ने पुरूष द्वारा बनाए इस समाज के आगे अपने घुटने टेक दिए थे।

संदर्भ सूची

1. प्रभा आप्टे रू भारतीय समाज में नारी , क्लासिंक पब्लिशिंग हाउस , जयपुर , 1996, पृ . सं . — 1
2. विश्व प्रकाश गुप्ता एवं मोहिनी गुप्त रू स्वतंत्रता संग्राम एवं महिलाएँ , राधा पब्लिकेशन्स , नई दिल्ली , 1997, पृ . सं .— 4
3. आशा रानी व्होरा रू औरत कल आज और कल , कल्याणी शिक्षा परिषद् , नई दिल्ली , 2005, पृ . सं .— 5—6
4. गुप्ता , विश्व प्रकाश एवं मोहिनी गुप्ता रू स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएँ , नमन प्रकाशन , नई दिल्ली , 1999, पृ . सं .— 20
5. वीना गर्ग रू भारतीय महिलाएँ एक विश्लेषण , आर्य पब्लिकेशन , नई दिल्ली , 2011, पृ . सं . — 27—28
6. रोहित मिश्र रू समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण , न्यू रायल बुक डिपो कम्पनी , लखनऊ , 1999, पृ . सं .— 41—42
7. आशा रानी व्होरा रू औरत कल आज और कल , कल्याणी शिक्षा परिषद् , नई दिल्ली , 2005, पृ . सं .— 49
8. रामप्रसाद व्यास और मनोरमा उपाध्याय , भारतीय नारी रू परिवर्तन एवं चुनौतियाँ , राजस्थानी ग्रंथागार , जयपुर , 2009, पृ . सं .— 44
9. रोहित मिश्र रू समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण , न्यू रायल बुक डिपो कम्पनी , लखनऊ , 1999, पृ . सं .— 45
10. कमलेश कटारिया रू नारी जीवन रू वैदिक काल से आज तक , यूनिक टे़ डर्स प्रकाशन , जयपुर , 2009, पृ . सं .— 30

11. गुप्ता , विश्व प्रकाश एवं मोहिनी गुप्ता रू स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएँ , नमन प्रकाशन , नई दिल्ली , 1999, पृ . सं .– 9–10
12. प्रीति मिश्रा रू हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व , अर्जुन पब्लिशिंग हाउस , नई दिल्ली , 2005, पृ . सं .– 49
13. गुप्ता , विश्व प्रकाश एवं मोहिनी गुप्ता रू स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएँ , नमन प्रकाशन , नई दिल्ली , 1999, पृ . सं .– 10